



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जें हुकम की त में जारी
19-3-24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पठ किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके बिकर एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील पार्थी का प्राप्ता स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथम से लिखा जाकर शां पठ किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>माण्डल</b> </p> <div style="text-align: center;">  </div>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या-153/23 प्राप्पत्र

1- श्री शंकरलाल शोभा शंभरलाल कुमहार निवासी-घोड़रा तहसील-माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

1- श्री शंकरलाल शोभा माधु कुमहार निवासी-घोड़रा तहसील-माण्डल (कांरा)  
(सुलझिनापारखण)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19.3.24

:: आदेश ::

प्रार्थी को ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ..... घोड़रा ..... पटवार हल्का ..... घोड़रा ..... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आरांजी न० 2544, 2553, 2554 ..... कुल किता ..... 03 ..... रकबा 1.3025 ..... हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.11.23 ..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ..... घोड़रा ..... पटवार हल्का ..... घोड़रा ..... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आरांजी न० 2544, 2553, 2554 ..... कुल किता ..... 03 ..... रकबा 1.3025 ..... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक ..... घोड़रा ..... को ..... 600-1 ..... रूपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मै मोकें व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नही की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल